न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00134 दायरा दिनांक : 09.07.2019

उनवान

प्रेम बाई पुत्री सुल्तान सिंह, जाति राजपूत, आयु 45 साल पत्नी श्री जोरावर सिंह, निवासी ग्राम गुराडियाकलां, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– उदयसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1/1–अनोख बाई बेवा उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 56 साल
1/2–रामसिंह आत्मज स्व0 उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 25 साल
1/3–गोपाल सिंह आत्मज स्व0 उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 23 साल
1/4–मेहरबान सिंह आत्मज स्व0 उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 21 साल
2– गंगाराम आत्मज इन्द्र सिंह, जाति राजपूत, आयु 42 साल
3– भंवर बाई पुत्री इन्द्र सिंह, जाति राजपूत, आयु 55 साल
4– विक्रम सिंह पुत्र सरदार सिंह, जाति राजपूत, आयु 25 साल
5– कृपाल सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, आयु 22 साल
6– लक्ष्मण सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, आय 6 साल नाबालिग जरिये वली माता लाभू बाई बेवा सरदार सिंह राजपूत
7– हरकंवर बाई पुत्री सरदार सिंह, जाति राजपूत
8– नेपाल सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत
9– सरदार कुंवर बाई उर्फ सूरेकुंवर बाई पुत्री सरदार सिंह आयु 13 साल नाबालिग जरिये वली माता लाभू बाई बेवा सरदार सिंह राजपूत
10– श्रीमती लाभू बाई बेवा सरदार सिंह राजपूत, आयु 45 साल निवासीगण लसुडिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान
11– भगवान सिंह आत्मज सुलतान सिंह जाति राजपूत, आयु 40 साल निवासी डूंगरखेड़ी, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
12– नारायण सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डूंगरखेड़ी, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
13– नारायण सिंह आत्मज मोतीलाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसुडिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान
14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रघुवीर गौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 4 से 10, श्री दयाराम सेन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 11, 12 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 07.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 412/दावा/1999 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2004 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लसुडिया, तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नं. 187 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 07.10.2004 से वाद वादीगण स्वीकार किया तथा वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 4 बीघा 15

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा वाके ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड में से 1 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार घोषित किया तथा वादीगण व प्रतिवादी 1 से 4 के मध्य मौके एवं रेकार्ड में बंटवारा किया जाकर 1 बीघा 05 बिस्वा आराजी कब्जे मुताबिक वादीगण के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालयका निर्णय एवं डिक्री विधि न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धांतों व तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अपीलांटा के विरूद्ध डिकी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसरदिये बिना ही वाद रेस्पोडेंट नं. 1 ल. 10 के पक्ष में डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवेधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम लसुडिया में आराजी खसरा नं. 187 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता सुलतान सिंह के खाते की जमीन स्थित थी, पिता की मृत्यु के बाद उनके खाते की जमीन अपीलांट के भाई भगवानसिंह को मिली तथा अपीलांट ने बंटवारे का दावा किया जो डिक्री हुआ और उक्त आराजी की 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट के खाते में दर्ज हुई है, जिसमें खसरा नं. 187 की रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से ख.नं. 187/2 भूमि 2 बीघा 2 बिस्वा इंतकाल नं. 111 से दिनांक 05.03.1994 से अपीलांटा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई एवं दूसरा खसरा नं. 187/1 को 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलांट के भाई भगवान सिंह का नाम से नामा. 111 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई तथा बंटवारे के दावे के बाद ग्राम लसूडिया स्थित भगवान सिंह के नाम वाली आराजी इंतकाल नं 111 से अपीलांट के नाम दर्ज खाता किया गया, इस प्रकार अपीलांट उपरोक्त आराजी में निहित 1/2 187/2 की भूमि 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि की निर्बाध व रिकार्डेड खातेदार होने के बावजूद मी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र मौखिक त्रुटिपूर्ण साक्ष्य के आधार पर रेस्पो. क्रम 1 लगायत 10 का वाद अपीलांट के विरूद्ध डिकी कर दिया जो – सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के पिता सुलतान सिंह के खसरा नं. 187 के खाते व कब्जे की आराजी रही है, तथा ख. नं. 187 के भूमि का ख. नं. 182 से कोई संबंध नहीं रहा है, न ही उक्त आराजी ख. नं. 182 से बनी थी, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. क्रम 1 ता 10 को वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 187 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लसुडिया तहसील पचपहाड़ में स 1 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य कोई और ध्यान नहीं दिया कि उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता सुलतान सिंह के खाते व कब्जे पुश्तेनी आराजी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है और सुलतान सिंह को मृत्यु के बाद समस्त अपीलांट के भाई भगवान सिंह के नाम दर्ज हुई तब अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी में बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया जहां से माननीय न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में डिक्री करते हुए खसरा नं. 187 का भूमि में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि ख. नं. 187/2 बनाया और इंतकाल नं. 111 से अपीलांट के खाते दर्ज कर कब्जा संभलाया तभी से उक्त आराजी अपीलांट के काश्त में चली आ रही है, आज तक आराजी का इंतकाल नं. 111 की अपील प्रस्तुत नहीं की तथा उसे निरस्त करने की कोई मांग नहीं की है, अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र इस प्रकार मौखिक साक्ष्य के आधार पर आदेश व डिक्री पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटि व अवैधानिक है। अधीस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 187/1 का रजि. बेचान किया गया है, जो वैधानिक रूप से दिया गया है, उसे भी न्यायालय में चुनोती नहीं दी गई है, तथा वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो. क्रम 1 ता 10 का कब्जा नहीं होने से भी एवं अपीलांट को परेशान करने एवं वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रस्तुत वाद का तथ्य भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या इसके बावजूद भी आदेश व डिक्री रेस्पो. का वाद अपीलांटके विरूद्ध डिकी कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। खसरा नं. 187/1 पर रजि. बेचान के आधार पर रेस्पों. 13 काबिल है और उसका सीमांकन किया गया है, एवं रेस्पों. क्रम 1 ता 10 धनबल व भुजबल से इस 182/2 की 2 बीघा 2 बिस्वा वादग्रस्त समस्त आराजी को हड़पना चाहते है, एवं इतकाल नं. 111 की अपील रेस्पों. क्रम 1 ता 10 द्वारा नहीं करने के आधार पर रेस्पों. का वाद अपीलांट के विरूद्ध डिक्री कर दिया, जो

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

त्रुटिपूर्ण अवेधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध करने में गंभीर त्रुटि की है, अपीलांट की खसरा नं. 187/2 को 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर रेस्पों. नं. 1 ता 10 का व उसके पिता का कभी कब्जा नहीं रहा है, एवं अपीलांट व अपीलांट के पिता पूर्वजकाल से रिकार्डेड खातेदार चली आ रही है, पिता को मृत्यु के बाद उक्त आराजी विधिवत रूप से अपीलांट के खाते में चली आ रही है, जिस पर रेस्पों. क्रम 1 ता 10 द्वारा कभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं इस प्रकार रेस्पों. क्रम 1 ता 10 का वाद अपीलांट के विरुद्ध डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवेधानिक है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्पोडेंट क्रम 11 के विरूद्ध वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमंडी में धारा 53 व 88 राज. टी. एक्ट का प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट का वाद विरूद्ध रेस्पों. क्रम 11 के विरूद्ध डिक्री कर दिया जिसमें अपीलांट की ग्राम लसुडिया में स्थित आराजी इंतकाल नं. 111 से ख. नं. 187/2 को 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि का खातेदार मानकर बंटवारा का वाद डिक्री कर दिया है, उक्त तथ्य पत्रावली पर होने के बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों. क्रम 1 ता 10 का वाद अपीलांट के विरूद्ध डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवेधानिक है। तनकी नं. 3 व 4 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध दिया जबकि अवेधानिक नियम विरुद्ध बेचान के प्रकरण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं, अपीलांट के द्वारा तनकी सिद्ध करने के सफल रहने के बाद अपीलांट के विरूद्ध वाद डिकी कर दिया जो त्रुटिपूर्ण अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निवेदन है कि निर्णय व डिकी अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 07.10.2004 को अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट क्रम 11, 12, 13 का अधीनस्थ न्यायालय एक ही था, तथा जवाब दावा प्रस्तुत न्यायालय में पेश करने के बाद अपीलांट तारीखों पर नही गयी और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हुई अपीलांट अनपढ़ अंगूठा लगाने वालों ग्रामीण महिला है एवं रेस्पोडेंट क्रम 11 व 12 के द्वारा रेस्पोडेंट क्रम 13 को बेचान कर अन्य राज्य में चले जाने से आदेश को जानकारी नही हुई, अपीलांट को खाते व कब्जे की आराजी पर रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 10 जबरदस्ती व धनबल व भुजबल से कब्जा करने की नियत व प्रयास पर अपीलांट अपने अधिवक्ता से मिली वहाँ से आदेश की जानकारी नहीं होने पर समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी, उक्त त्रुटि बोनाफाईड व क्षम्य है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी में वादग्रस्त आराजी के बाबत् दिनांक 07.10.2004 को निर्णय व डिकी पारित किया गया है और अपीलांट/रेस्पोडेंट कम 1 प्रेम बाई पुत्री सुल्तान सिंह पत्नी जोरावर सिंह द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 14.05.2012 को अपील पेश की गई जो लगभग 8 साल मियाद बाहर पेश की गई है । इस प्रकार अपीलांट/रेस्पोडेंट कम 1 प्रेम बाई ने मियाद के सम्बन्ध में विलम्ब का समुचित कारण साबित नहीं किया है, जबकि मियाद के बिन्दु पर एक–एक दिन के डिले को साबित किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण के देरी से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और ना ही कोई पर्याप्त कारण अवगत करवाये हैं।

अधिनियम की धारा 5 के संबंध में आरबीजे 2007(14) पृष्ठ 438, 439 गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट के अनुसार जहां देरी का संतोषजनक कारण नहीं दिया गया हो वहां प्रकरण में देरी का माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दु पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

प्रेम बाई पुत्री सुल्तान सिंह, जाति राजपूत, आयु 45 साल पत्नी श्री जोरावर सिंह, निवासी ग्राम गुराडियाकलां, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1– उदयसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1/1–अनोख बाई बेवा उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 56 साल
1/2–रामसिंह आत्मज स्व0 उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 25 साल
1/3–गोपाल सिंह आत्मज स्व0 उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 23 साल
1/4–मेहरबान सिंह आत्मज स्व0 उदय सिंह, जाति राजपूत, आयु 21 साल
2– गंगाराम आत्मज इन्द्र सिंह, जाति राजपूत, आयु 42 साल
3– भंवर बाई पुत्री इन्द्र सिंह, जाति राजपूत, आयु 55 साल
4– विक्रम सिंह पुत्र सरदार सिंह, जाति राजपूत, आयु 25 साल
5– कृपाल सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, आयु 22 साल
लक्ष्मण सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत, आय 6 साल नाबालिग जरिये वली माता लाभू बाई बेवा सरदार सिंह राजपूत
7– हरकंवर बाई पुत्री सरदार सिंह, जाति राजपूत
8– नेपाल सिंह आत्मज सरदार सिंह, जाति राजपूत
9– सरदार कुंवर बाई उर्फ सूरेकुंवर बाई पुत्री सरदार सिंह आयु 13 साल नाबालिग जरिये वली माता लाभू बाई बेवा सरदार सिंह राजपूत
10– श्रीमती लाभू बाई बेवा सरदार सिंह राजपूत, आयु 45 साल निवासीगण लसुडिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
11– भगवान सिंह आत्मज सुलतान सिंह जाति राजपूत, आयु 40 साल निवासी डूंगरखेड़ी, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
12– नारायण सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डूंगरखेड़ी, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
13– नारायण सिंह आत्मज मोतीलाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसुडिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान
14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 2019/00134 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, भवानीमंडी
मु.द.नं0 412/दावा/1999 निर्णय व डिक्री दिनांक – 07.10.2004

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 13 माह 05 सन् 2024

हाजरी **श्री रघुवीर गौड** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री सी.पी.खण्डेलवाल** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 4 से 10, **श्री दयाराम सेन** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 11, 12 अभिभाषक मिनजानिब, शेष रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2004 यथावत रखा जाता है।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 07 माह 06 सन् 2024 को जारी किया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)